न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावतं आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 315/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. बाबूलाल पुत्र बक्साराम जाट 2. मोहनराम पुत्र भोलाराम जाट 3. रामप्रकाश पुत्र बक्साराम जाट 4. उगमादेवी पुत्री बक्साराम जाट (सभी निवासी खोजानगर, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर)		1. खेताराम पुत्र उगमाराम मेघवाल निवासी हरियाढाणा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर 2. रामलाल पुत्र बालूराम बावरी निवासी जसवंताबाद तहसील रियाबडी, जिला नागौर 3. सीताराम पुत्र ढगलाराम बावरी निवासी हरियाढाणा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर 4. गणपत पुत्र मंगलाराम बावरी निवासी राणीवाल तहसील जैतारण जिला पाली 5. शिवकरण पुत्र झूमरदास मेघवाल निवासी देवनगर, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 6. सीताराम पुत्र मंगलाराम बावरी निवासी राणीवाल तहसील जैतारण, जिला पाली 7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बिलाडा दिनांक 18.07.2023 राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 06/2023 अनवान खेताराम व अन्य बनाम बाबूलाल वगैरा

उपस्थित–
1. श्री महेन्द्र चौधरी वकील अपीलाण्ट
2. श्री मदनलाल चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7

निर्णय

दिनांक 24.04.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पत्र संख्या 06/2023 खेताराम व अन्य बनाम बाबूलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 18.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. सं0 1 से 5 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खोजानगर तहसील बिलाडा स्थित खसरा नं0 2219/6 की कृषि भूमि प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 3–खेताराम, रामलाल व सीताराम की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसके मूल खसरा नं0 2219/3 मीन है। इसी प्रकार खसरा नं0 2219/8 की कृषि भूमि प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 4 से 6–गणपत, शिवकरण व सीताराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके मूल खसरा नं0 2219/4 मीन है। खसरा नं0 2869 से 2872/2219 की कृषि भूमि अप्रार्थी–अपीलांट्स सं0 1, 3 व 4–बाबूलाल, रामप्रकाश व उगमादेवी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके मूल खसरा नं0 2219/2 मीन है। उपरोक्त तीनों मूल खसरा नं0 2219/2, 2219/3 व 2219/4 की तरमीम पूर्व में लट्ठा ट्रेस में की हुई है। इनके वर्तमान खसरा नं0 की वर्तमान लट्ठा ट्रेस नक्शे व ऑनलाईन नक्शे में की गई तरमीम पूर्व तरमीम के अनुसार नही होने से तरमीम दुरूस्ती का आग्रह किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 5 द्वारा अप्रार्थी–अपीलांट सं0 1 से 4 के विरूद्ध उक्त तरमीम दुरूस्ती का आवेदन अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2023 द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार बिलाडा को नये सिरे से पुनः तरमीम हेतु आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 1 से 4 ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि खसरा नं0 2219 की सरकारी भूमि में से पूर्व में जीवणराम पुत्र भादूराम को 10 बीघा भूमि वर्ष 1976 में आवंटित होने पर उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई व जरिये नामान्तरकरण सं0 1503 इनकी खातेदारी में दर्ज हुई। खातेदार जीवणराम द्वारा उक्त भूमि का बेचान प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3–खेताराम, रामलाल व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सीताराम को करने पर जरिये ना0क0सं0 485 दिनांक 21.07.2022 को राजस्व रेकर्ड में खसरा नं0 2219/6 रकबा 10 बीघा इनके नाम दर्ज हुई।

इसी प्रकार खसरा नं0 2219 की सरकारी भूमि में से पूर्व में जीवणराम के भाई मोहनराम पुत्र भादूराम को 10 बीघा भूमि आवंटित होने पर उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई व जरिये नामान्तरकरण सं0 1504 इनकी खातेदारी में खसरा नं0 2219/4 मीन रकबा 10 बीघा इनके नाम दर्ज हुई। जो जरिये बेचाननामा रेस्पो0सं0 4 से 6 के नाम पारित ना0क0सं0 486 दिनांक 21.7.22 राजस्व रेकर्ड में खसरा नं0 2219/8 रकबा 10 बीघा दर्ज हुई। रेस्पोडेंटगण के ख0नं0 2219/6 व ख0नं0 2219/8 के पश्चिम दिशा में अपीलांट्स के उल्लेखित खसरान की भूमि स्थित है, जबकि ऑनलाईन नक्शा ट्रेस के अनुसार अपीलांट्स की भूमि की तरमीम भिन्न स्थान पर है। प्रार्थी–अपीलांट सं0 1 से 4 ने उक्त तरमीम निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने की नियत से गलत मौका फर्द दिनांक 13.4.23 के आधार पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट्स आवंटित भूमि पर काबिज है, जिसमें मकान, बाडे व चारदिवारी बनी हुई है व विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। इनका आपसी सहमति से विभाजन के उपरांत आवासीय प्रयोजनार्थ रूपातंरण किया हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज किया गया।

इसके अलावा अपीलांट्स एवं रेस्पो0 की भूमि के मध्य खसरा नं0 2219 में रासता स्थित है, जो आवंटन के समय से चलायमान है। इस रास्ते की भूमि को हल्का पटवारी ने रेस्पो0 की भूमि की तरमीम में शामिल करते हुए गलत मौका फर्द प्रस्तुत की हुई है। इसलिए तहसीलदार बिलाडा की मौजुदगी में खसरा नं0 2219 के संपूर्ण रकबे की पैमाईश कर मौके पर अवस्थित खातेदारों की मौजूदगी में वास्तविक सीमांकन करने से वास्तविक तरमीम की स्थिति ज्ञात हो सकती है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 से 6 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 6 के उल्लेखित खसरान की भूमि की वर्तमान लट्ठा ट्रेस नक्शे व ऑनलाईन नक्शे में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की गई गलत तरमीम को निरस्त कर, उपरोक्त खसरान के मूल खसरा नम्बर अनुसार पूर्व में की गई सही तरमीम यानि इस संबंध में तत्का0 पटवारी द्वारा जारी पी. 35 के क्रम संख्या 34 दिनांक 13.4.87 के अनुसार किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश महज नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम में दुरूस्ती हेतु किया गया है, जिसमें वादग्रस्त भूमि के खातेदारन की बेदखली अथवा सीमाज्ञान या धारा 88 आरटीएक्ट के तहत अधिकारों की घोषणा नही की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट्स खारिज करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 7 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 131 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती का आदेश तहसीलदार (भू0अ0) बिलाडा की रिपोर्ट/जवाब दिनांक 17.4.23 के आधार पर पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलांट्स यदि इससे अपने अधिकारों का हनन मानता है, तो वह सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से ख़ारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24 **अप्रेल, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर